FORM III

फर्द अहकाम

(नियम 20)

न्यायालय अधिकारी उनियारा (टोंक)

बनाम

किस्म मुकद्दमा.................................नम्बर सन्...20

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
12.5.17	आज पत्रावली कैम्प कोर्ट राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार-2017 अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत देवली पर पेश हुई। संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि वादी एवम् उसकी बहिन भूरी व गंगा के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी ख०नं० 1308 रकबा 0.77 हे० वाके ग्राम देवली तहसील उनियारा जिला टोंक मे स्थित है। वादग्रस्त आराजी वादी द्वारा ही अकेले काश्त की जाती है। बहिनो भूरी व गंगा ने अपना हिस्सा वादी के पक्ष मे समर्पित कर रखा है। वादी ही वर्तमान मे सम्पूर्ण आराजी को काश्त करता है। प्रतिवादी का वादग्रस्त आराजीयात से किसी प्रकार का कोई संबंध नही है। खातेदारी एवम् कब्जे काश्त की आराजी पर कब्जा करना चाहता है। जिसका उसे कोई हक व अधिकार नही है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। वादीगण व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। वादी व प्रतिवादी उपस्थित। प्रतिवादी ने पूर्व मे जवाब प्रस्तुत किया हुआ। जवाब मे बताया कि उक्त आराजी पर टीकाराम का वर्षों से कब्जा चला आ रहा है। वादी का उक्त आराजी से कोई सम्बन्ध नही है। उक्त वाद मे बहिनो को पक्षकार नही बनाने से दावा चलने योग्य नही है। वादीगण 40-50 वर्षों से कोटा निवास कर रहा है। वादी का उक्त आराजी पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा। उक्त आराजी पर वादी का कब्जा काश्त नही रहा। उक्त आराजी वाद पत्र प्रतिवादी को परेशान करने की नियत प्रस्तुत किया है। उक्त आराजी पर वादी का कब्जा काश्त के अभाव मे तथा बहिनो को पक्षकार न बनाने से उक्त वाद चलने योग्य नही है।	

Scanned by CamScanner

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज व जवाब का अवलोकन किया गया। वादी अनु० जाति वर्ग का है। जबकि प्रतिवादी गैर अनु० जाति वर्ग से है। काश्तकारी अधि० कि धारा 42 के प्रावधानुसार प्रतिवादी उक्त भूमि का अपना कब्जा बनाये रखने अथवा खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वादी राजस्व रिकार्ड में बहैसियत खातेदार दर्ज है। अतः खातेदार दर्ज होने के नाते वादी भी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः अप्रार्थी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादी के कब्जे काश्त में आराजी ख०न० 1308 रकबा 0.77 है० वाके ग्राम देवली में किसी प्रकार मदाखलत व मजा० नहीं करे, ना फसल नष्ट करे, ना कब्जा करने का प्रयास करे, ना तो स्वयं और ना जरिये एजेन्ट, नौकर, प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा ही करावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।